Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम मुकाम** **जोधपुर**

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर पश्चिम।		**1. ओमाराम पुत्र जयरूपराम जाति पटेल उम्र 38 साल पेशा चालक निवासी माण्डु कला, थुम्बडी ढाणी, पुलिस थाना बोरानाडा, जोधपुर** **2. अशोक कुमार पुत्र कानमल जाति शर्मा निवासी घुंघाडा, पुलिस थाना लूणी, जिला जोधपुर।**

किस्म मुकदमा **सप्लाई विविध** **नं0 11/2025 (GCMS No. 2025/297)**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
23.02.2026	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी ओमाराम व उनके अधिवक्ता श्री सूर्यप्रकाश शर्मा उपस्थित। अप्रार्थी ओमाराम ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना, लूणी द्वारा दर्ज करवाया था, जिसमें मुझे बरी कर दिया है। मेरे उपर लगाए गए आरोपो से मुझे दोषमुक्त कर दिया है। अतः इस प्रकरण में मेरे द्वारा जमा करवाई गई बैंक गारंटी मुझे लौटाई जावे। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नं. 3 में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण) जोधपुर महानगर द्वारा नियमित फौजदारी प्रकरण सं. 127/2018 (एनसीवी नं. 13052/2017) सरकार बनाम ओमाराम वगैरा अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2026 की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.02.2026 को पेश की है। 2. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना लूणी द्वारा पत्रांक 01 दिनांक 02.01.2017 से मुकदमा नं. 196 दिनांक 21.12.2016 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में, जब्तसुदा 49 कट्टे गेहूं एवं पिकअप वाहन महेन्द्रा नंबर आरजे 19 जीए 6565 का धारा 6ए के अंतर्गत निस्तारण करने हेतु पेश किया गया है। 3. अप्रार्थी ओमाराम ने दिनांक 06.01.2017 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 सीआरपीसी प्रस्तुत कर उक्त वाहन एवं गेहूं को जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सौंपने का निवेदन किया था। थानाधिकारी लूणी ने अप्रार्थी को जब्तसुदा वाहन/गेहूं सुपुर्द करने में कोई आपत्ति नहीं होना कथित किया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2017 से उक्त वाहन एवं गेहूं को 2,10,000/– अक्षरे दो लाख दस हजार रूपये मात्र की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, जब्तसुदा वाहन व गेहूं कुछ शर्तों/निर्बंधनों के साथ, सौपने के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी ओमाराम ने दिनांक 13.01.2017 को 2.10 लाख रूपये की सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जालोरी गेट जोधपुर द्वारा जारी बैंक गारंटी नंबर 56/7 दिनांक 13.01.2017 पेश की, जो दिनांक 12.01.2018 तक की अवधि तक ही मान्य थी जबकि आदेश दिनांक 11.01.2017 में बैंक गारंटी प्रकरण के अंतिम निस्तारण तक की प्रस्तुत करने पर ही वाहन/गेहूँ रिलीज करने के आदेश पारित किये गये है। उक्तानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 13.01.2017 से जब्तसुदा वाहन आरजे 19 जीए 6565 व 49 कट्टे रिलीज करने के आदेश पारित किये गये तथा पत्रांक 36 दिनांक 13.01.2017 से थानाधिकारी लूणी को आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई। 4. यह प्रकरण दिनांक 09.01.2017 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई कार्यवाही के साथ–साथ प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय में	

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विचाराधीन धारा 6ए के तहत की Confiscation कार्यवाही अंतिम रूप से नहीं की जा सकी है तथा धारा 6ए(1) के तहत आदेश पारित नहीं हुए है, परंतु इस दौरान, राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी ओमाराम व अशोककुमार के विरूद्ध धारा 3/7 के अपराध के लिए अभियोजन हेतु प्रारंभ की गई कार्यवाही में निर्णय पारित हो चुका है। अप्रार्थी ओमाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2026 एवं फार्म नं. 3 में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई प्रकरण), जोधपुर महानगर नियमित फौजदारी प्रकरण सं. 127/2016 (एनसीवी नं. 13052/2017) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.02.2026 से, अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया है।

5. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए की उपधारा 3 के क्लॉज (ब) के प्रावधानानुसार अगर धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोजन में आरोपी को दोषमुक्त (Acquital) कर दिया जाता है, तो Confiscation की कार्यवाही के दौरान जब्त वाहन/वस्तु के बिक्री से प्राप्त राशि आरोपी को लौटा दी जायेगी। चूंकि हस्तगत प्रकरण में जब्त वाहन/गेहूं का निस्तारण नीलामी से/वितरण नहीं किया जाकर, वाहन व माल को आरोपी की बैंक गारंटी के बदले लौटाया गया है, अब आरोपी को फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है, अतः अप्रार्थी द्वारा जमा कराई गई बैंक गारंटी का दस्तावेज, अप्रार्थी 1 ओमाराम को लौटाया जा सकता है।
6. अतः प्रार्थी ओमाराम द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी सर्टिफिकेट सं. IN-RJ07863874420618P दिनांक 12.01.2017 मय बैंक गारंटी नं. 56/07 दिनांक 13.01.2017 को ओमाराम को लौटाने के आदेश दिये जाते है। दस्तावेज की फोटोप्रति पत्रावली पर रखी जावे तथा ओमाराम की पहचान मूल आधार कार्ड से सुनिश्चित की जावे।
7. इसके अतिरिक्त ओमाराम से यह लिखित भी ली जावे कि उसे जब्तसुदा वाहन व गेहूँ की सुपुर्दगी आदेश दिनांक 13.01.2017 की पालना में थानाधिकारी, लूणी द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है तथा उसका कोई भी जब्तसुदा सामान सरकार के पास अब बकाया नहीं है।
8. आदेश की प्रति थानाधिकारी, लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक एडीएम1/कोर्ट/2017/36 दिनांक 13.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राजात हेतु भेजी जावे।
9. उक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् अब इस प्रकरण में धारा 6ए से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रहती है तथा प्रकरण समाप्त करने योग्य है। अतः उक्तानुसार प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।

पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर